

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/Part III/10157

दिनांक : 22/11/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, जयपुर,
जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, एवं सिरोही।

विषय:- नगर पालिका/नगर परिषद आम चुनाव दिसम्बर, 2020 – नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा माह दिसम्बर, 2020 में 50 नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23.11.2020 को निर्वाचन की लोकसूचना जारी होनी है। दिनांक 27.11.2020 तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने हैं एवं नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा हेतु दिनांक 01.12.2020 निर्धारित है।

चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों द्वारा नाम निर्देशन पत्रों के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों, अमानत राशि, अभ्यर्थी की आयु हेतु कट-ऑफ डेट आदि के संबंध में जानकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी को संवीक्षा के दौरान उक्तानुसार जानकारी हेतु उक्त 50 नगर निकायों के आम चुनावों के सदस्य पद के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं-

क्र. सं.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों का विवरण
1	2	3
1	नाम निर्देशन पत्र	राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-12 के अन्तर्गत विहित प्ररूप-3 (नाम निर्देशन पत्र) की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण होनी चाहिए। कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए।
2	घोषणा पत्र	1. आयोग के पत्रांक 4149 दिनांक 21.10.2019 के अनुसार दोषसिद्धी एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों संबंधी सूचना एवं 2. संतानों की सूचना हेतु घोषणा पत्र। 3. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-21 के खण्ड (g) एवं आयोग के पत्रांक 4537 दिनांक 01.11.2019 के अनुसार घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र/अंडरटेकिंग। उक्त घोषणा पत्र अभ्यर्थी की योग्यता निर्धारण के लिए है।
3	उपाबन्ध-1	आयोग के पत्रांक 3795 दिनांक 04.10.2019 के अनुसार रुपये 50/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non judicial stamp paper) पर उपाबन्ध-1 में शपथ पत्र। उपाबन्ध-1 अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता निर्धारण के लिए नहीं है, किन्तु इसे प्रस्तुत नहीं करने अथवा मीमो दिये जाने के बाद भी सभी दृष्टिकोण से पूर्ण एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने (Not filed a fresh affidavit complete in all respects) पर नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा*।

20.11.20

4	सांख्यिकी सूचना का फॉर्म।	इस फॉर्म का लिया जाना आवश्यक है, किन्तु इसे प्रस्तुत नहीं करने अथवा रिक्त रखे जाने की स्थिति में नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
5	अमानत राशि	राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-22 (स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 31731 दिनांक 05.08.2019 के द्वारा संशोधित) के अन्तर्गत अमानत राशि निम्नानुसार होगी:- 1. नगरपालिका मंडल (Municipal Board) के सदस्य के लिए रुपये 2000/- (अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार की स्थिति में रुपये 1000/-) 2. नगरपरिषद (Municipal council) के सदस्य के लिए रुपये 4000/- (अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार की स्थिति में रुपये 2000/-)
6	जाति प्रमाण पत्र	आरक्षित वर्ग से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-12(8) के अनुसार संबंधित जाति का राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
7	आयु हेतु कट-ऑफ दिनांक	संवीक्षा की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
8	नो-ड्यूज प्रमाण पत्र	राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-24(XVIII) के अनुसार यदि अभ्यर्थी के उपर संबंधित नगरीय निकाय के शोध्यों की राशि 2 वर्ष से अधिक समय से बकाया हो और उस राशि की वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो, तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। शेष अभ्यर्थियों के लिए नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

*नाम निर्देशन पत्र एवं इसके साथ संलग्न किए जाने वाले घोषणा/शपथ पत्रों के किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा। कॉलम के रिक्त होने की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस आशय का एक मीमो संबंधित अभ्यर्थी को दिया जाएगा। पूर्व के प्रस्तुत शपथ पत्र में संशोधन विधि पूर्ण नहीं होगा। अतः आक्षेप की पूर्ति के लिए नया शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मीमो की प्राप्ति के पश्चात् भी अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र के रिक्त कॉलम की पूर्ति नहीं की जाती है अथवा जहां नया शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है वहां सभी दृष्टिकोण से पूर्ण एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है (Not filed a fresh affidavit complete in all respects) तो उसका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा।

आज्ञा से


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांक : एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/Part III/10158

दिनांक : 22/11/2020

प्रतिलिपि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव